

अंतरराष्ट्रीय दवियांगजन दविस

प्रतविरष 03 दसिंबर को 'अंतरराष्ट्रीय दवियांगजन दविस' मनाया जाता है।

- इससे पहले, नागरकि उड्डयन मंत्रालय द्वारा [हवाई अड्डों पर दवियांगों के लयि पहुँच सुनश्चिति](#) करने हेतु मसौदा मानदंड जारी कयि गए थे।

दवियांगता

- दवियांगता का आशय प्रायः एक ऐसी स्थतिसे है, जसिमें एक वयक्ता विशिषट कसिी विशिष वयक्ता के सामान्य मानक की तुलना में कई कारय करने में असमर्थ होता है।
- 'दवियांगता' शबद का प्रयोग अकसर वयक्तागत कामकाज को संदरभति करने के लयि कयिा जाता है, जसिमें शारीरकि हाना, संवेदी हाना, संज्जानात्मक हाना, बौद्धकि हाना, मानसकि बीमारी और वभिन्न प्रकार के जीरण रोग शामिल हैं।
- कुछ विशिषज्ज 'दवियांगता' की इस परभाषा को 'चकितिसा मॉडल' पर आधारति मानते हैं।

प्रमुख बदि

- पृष्ठभूमि:**
 - इस दविस की शुरुआत वर्ष 1992 में '[संयुक्त राष्ट्र महासभा](#)' के प्रस्ताव 47/3 द्वारा की गई थी।
 - वर्ष 2006 में 'कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ प्रसनस वथि डिसिबिलिटी' (CRPD) को भी अपनाया गया था।
 - इसका उद्देश्य सतत् विकास हेतु वर्ष 2030 के एजेंडे के कारयान्वयन के माध्यम से दवियांग वयक्तयिों के लयि समान अवसर प्रदान करने की दशिा में काम करना है।
- परचिय:**
 - यह दविस समाज एवं विकास के प्रतयेक स्तर पर दवियांग लोगों के अधिकारों और कल्याण को बढ़ावा देने पर ज़ोर देता है।
 - इसका उद्देश्य राजनीतिक, सामाजकि, आर्थकि और सांस्कृतकि जीवन के सभी पहलुओं में दवियांग वयक्तयिों की स्थतियिों के बारे में जागरूकता बढ़ाना भी है।
- दवियांग वयक्तयिों से संबंधति आँकड़े:**
 - [वशिव स्वास्थ्य संगठन](#) (WHO) के अनुसार, 01 बलियिन से अधिक लोगों के दवियांगता से प्रभावति होने का अनुमान है और भवष्य में जनसंख्या में वृद्धि और और गैर-संचारी रोगों के प्रसार के साथ और अधिक बढ़ सकता है।
 - बीते वर्ष (2020) जारी की गई वकिलांगता पर '[राष्ट्रीय सांख्यिकी कारयालय](#)' की एक रपौरट के अनुसार, भारत की लगभग 2.2% आबादी कसिी न कसिी तरह की शारीरकि या मानसकि अक्षमता से प्रभावति है।
- 2021 के लयि थीम:**
 - 'एक समावेशी, सुलभ और सतत् पोस्ट-कोवडि वशिव की ओर दवियांग वयक्तयिों का नेतृत्व और भागीदारी'(Leadership and participation of persons with disabilities toward an inclusive, accessible and sustainable post-COVID-19 world)।
- संबंधति पहलें:**
 - वैश्वकि:
 - वरल्ड प्रोग्राम फॉर एक्शन (WPA):** यह वकिलांगता की रोकथाम, पुनरवास और अवसरों की समानता को बढ़ावा देने हेतु एक वैश्वकि रणनीति है, जो वकिलांगता को सामाजकि जीवन तथा राष्ट्रीय विकास के दृष्टकिेण से देखने की आवश्यकता पर भी बल देता है।
 - भारतीय:
 - [अद्वितीय अक्षमता पहचान \(UDID\) पोर्टल](#)
 - [सुगमय भारत अभयिान](#)
 - [दीनदयाल दवियांग पुनरवास योजना](#)
 - [सहायक यंत्रों/उपकरणों की खरीद/फटिगि के लयि वकिलांग वयक्तयिों को सहायता योजना \(एडपि योजना\)](#)

संबंधित दिवस

- 4 जनवरी: विश्व ब्रेल दिवस
- 21 मार्च: विश्व डाउन सिड्रोम दिवस
- 2 अप्रैल: विश्व सुवलीनता (ऑटजिम) जागरूकता दिवस
- 23 सितंबर: अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस
- 10 दिसंबर: मानवाधिकार दिवस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/international-day-of-persons-with-disabilities>

